स0स0–7/एम०सी०एच०–35–29/2021 – 392(7B)

# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**शंभु शरण** भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वाराः– वित्त विभाग।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक– 30/09/2026

**विषयः– इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन की राशि रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से तृतीय किस्त के रूप में व्यय हेतु रु0 1,27,50,00,000/– (रुपये एक अरब सताइस करोड़ पचास लाख) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य मे अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत शिक्षा के विकास करने एवं चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान में सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमें पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही, यहाँ स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है और इन सभी में कई चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। पूर्व वर्षों की भाँति इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु रु0 1,38,00,00,000/– (रुपये एक अरब अड़तीस करोड़) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–231(7B), दिनांक–18.05.2026 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः संस्थान को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रूप में रु० 92,00,00,000/– (रुपये बानवे करोड़) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–317(7B), दिनांक–03.08.2026 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः संस्थान को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में तृतीय किस्त के रूप में रु० 1,27,50,00,000/– (रुपये एक अरब सताइस करोड़ पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/वि0(2),दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2),दिनांक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017, 4443/वि0, दिनांक–14.06.2018 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017–31–04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(4) इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(5) अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA003 विपत्र कोड–00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-11798 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) राज्यादेश में वित्त विभाग द्वारा सशर्त्त सहमति निम्नरूपेण प्राप्त है:–

(क) विमुक्त की जाने वाली राशि की एकमुश्त निकासी कोषागार से नहीं किया जाय। माहवार वेतनादि मद में मासिक देय राशि के अनुसार राशि की निकासी प्रत्येक माह किया जाय।

(ख) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से सबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार से करा लिया जाय।

(ग) सबंधित कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाय।

(घ) राशि की निकासी एवं व्यय बजटीय उपबंध के अन्तर्गत समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाय।

(7) राज्यादेश में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(9) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.9.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/एम०सी०एच०–35–29/2021– 398(78)/स्वा0, पटना, दिनांक–30/09/2026

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–7बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

392(HB)
30/09/2026

30.9.26

सरकार के अपर सचिव